न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 192/2022

GCMS No- 2022/598

श्री प्रेमचन्द उर्फ पेमा पिता वरदा जी उर्फ बरदा जाति बलाई उम्र 79 साल निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मण पिता वरदा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

राज. सरकार जरिये तहसीलदार सा. निम्बाहेड़ा

.... अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 12.04.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा केली प.ह. केली तह निम्बाहेडा में वर्तमान खाता सं0 315 की आराजी नं० 2449 मीन रकबा 0.5400 हेक्टेयर लगानी 6.48 रूपये स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 1 की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम केली प.ह. केली तह0 निम्बाहेडा में खाता सं0 819 की आराजी नं0 2446 रकबा 1.4700 हेक्टेयर लगानी 17.64 रूपये स्थित हैं। खाता सं0 820 की आराजी नं. 2445 रकबा 0.0100 हेक्टेयर स्थित है। [illegible] नं 2444 रकबा 0.0100 हेक्टेयर स्थित है। उपरोक्त [illegible]जीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के घर का [illegible] पेमा पिता [illegible]दा दर्ज है जबकि प्रार्थी का रेकार्डेड नाम प्रेम[illegible] के पिता [illegible]दा एवं बरदा दोनों नामो से जानते है इस[illegible] आधार कार्ड में प्र[illegible]का नाम प्रेमचन्द पिता बरदा दर्ज है इस प्रकार पेमा पिता वरदा एवं प्रेमचन्द पिता वरदा एक ही व्यक्ति है, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं। पुष्टि में आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, जनआधार कार्ड की फोटो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि **जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम केली पटवार हल्का केली के खाता सं0 315, 819, 820, 821 में प्रार्थी श्री पेमा पिता वरदा पिता जाति बलाई निवासी केली के स्थान पर प्रार्थी खातेदार का नाम प्रेमचन्द पिता वरदा निवासी केली दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रतियों प्रस्तुत है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में नाम की अशुद्धी की जानकारी प्रार्थी को हाल ही में पटवारी हल्का से नकले लेने पर हुई और जानकारी होते ही यह आवेदन नाम शुद्धीकरण का प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की खाता सं0 315, 819. 820, 821 की जमाबंदीयो में प्रार्थी का दर्ज नाम पेमा के बजाय प्रेमचन्द पिता वरदा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में नाम के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं हो। आराजीयात ग्राम केली तह निम्बाहेडा में स्थित हैं इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का हैं। विपक्षी स० 1 प्रार्थी का सगा भाई है और सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज है इसलिये उक्त आवेदन में आवश्यक पक्षकार होने से प्रोफार्मा विपक्षी सं० 1 बनाया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में मोजा केली प०० केली में स्थित दर्ज खाता सं0 315, 819, 820, 821 की जमाबंदीयो में प्रार्थी का दर्ज नाम पेमा के बजाय प्रेमचन्द पिता वरदा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

2. यह हे कि संदर्भित पत्र के माध्यम से विचाराधीन प्रकरण संख्या 192 / 2022 प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर0एक्ट बअनुवान श्री प्रेमचन्द्र उर्फ पेमा पिता वरदा जाति बलाई बनाम लक्ष्मण पिता वरदा जाति बलाई व अन्य में मौका रिपोर्ट चाही गई, जिसकी जांच तहसीलदार निम्बाहेड़ा से करवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट मय पर्चा एवं दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रस्तुत की। भू0अ0 निरीक्षक गादोला की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच की गई प्रार्थी श्री प्रेमचन्द पिता वरदा बलाई को घर पर पेमा के नाम से जाना जाने के कारण राजस्व रेकार्ड में इनका नाम पेमा दर्ज हो गया जबकि इनके अन्य दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विद्युत बिल, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते इत्यादि में इनका नाम प्रेमचन्द दर्ज है। अतः भू०अ० निरीक्षक गादोला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एंव पर्चा मौका मय दस्तावेज के मूल ही मय अनुशंषा के प्रेषित किया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रेमचन्द पिता वरदा जाति बलाई निवासी केली तहसील निम्बाहेडा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच में सही करने हेतु जांच पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, सहखातेदारों की सहमति, प्रार्थी का शपथ पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के आधार पर खातेदार श्री पेमा पिता वरदा के बजाय सही नाम प्रेमचन्द पिता वरदा निवासी केली का नाम दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा (राज.)